



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032021-225802
CG-DL-E-11032021-225802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1021]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1021]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1109(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, कांगपोकपि (NH37) के कि.मी 16.8 से 33, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, लैंपशेल्ड, इंफाल पश्चिम (NH37) के कि.मी 15.94 से 16.8 मणिपुर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH37 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्टी कमिश्नर, कांगपोकपी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH37 के कि.मी. 16.8 से 33 तक	मणिपुर	कांगपोकपि	कांगचुप गेलजांग	1 नामथांजांग
						2 लोन्ज्यांग
						3 बिजांग
						4 लोंगा कोइरेंग
						5 एस. लाइजांग
						6 कोटलेन
						7 खारम पालेन
						8 टिन-टोंग लाइजांग
						9 नई कैथेलमंबी
						10 मिशन कंपाउंड
						11 टी मैंगजोल
						12 हैबुनग
						13 सनम खाइथोग
						14 खोंगलोंग कबुई
						15 थानगलोंग
						16 फोल्जंग
						17 ल .हेंगजोल
2	डिप्टी कमिश्नर , इम्फाल वेस्ट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH37 के कि.मी. 15.94 से 16.8 तक	मणिपुर	इम्फाल वेस्ट	कुंतौजम	1 मोदंगपोक

[फा. सं. NHIDCL/PMU-SPT/NH-37/LA/Pkg-2/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1109(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 16.8 to 33 of Deputy Commissioner Office, Kangpokpi (NH37) , 15.94 to 16.8 of DC Office Complex, Lamphelpat, Imphal West (NH37) in the State of MANIPUR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MANIPUR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH37 in the State of MANIPUR.

Sr. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Deputy Commissioner, Kangpokpi	16.8KM To 33KM	MANIPUR	Kangpokpi	Kangchup Geljang	1	Namthanjang
						2	Lonjang
						3	Bijang
						4	Longa Koirang
						5	S Laijang
						6	Kotlen
						7	Kharam Pallen
						8	Tin-Tong Laijang
						9	New Keithelmanbi
						10	Mission Compound
						11	T. Mangjol
						12	Haibung
						13	Senam Khaithong
						14	Khonglong Kabui
						15	Thanglong
						16	Pholjang
						17	L.Hengjol
2	Deputy Commissioner, Imphal West	15.94KM To 16.8KM	MANIPUR	IMPHAL WEST	Konthoujam	1	Moidangpok

[F. No. NHIDCL/PMU-SPT/NH-37/LA/Pkg-2/2021]

RAJESH GUPTA, Director